न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 33/2016

GCMS CASE NO-2016/00004

1.रेवंतराम पुत्र श्री लेखराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड न0 23 सूरतगढ तहसील सूरतगढ

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर
3. श्री रामप्रताप पुत्र श्री लेखराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड न0 19/32 सूरतगढ।

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री भगवानदत्त शर्मा अधिवक्ता, अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट न0 1
3. श्री शीशपाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट न0 2
4. श्री भागीरथ विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

:: निर्णय ::

दिनांकः– 20.03.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 07.09.2006 जिसके द्वारा अपीलांट के पिता लेखराम पुत्र श्री जीवणराम को अराजी काश्त पर आवंटित रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 267/6.325 है0 ख.न. 281/1.362 है0 ख.न. 308/3 की 0.164 है0 कुल 7.851 है0 बारानी भूमि का आरजी काश्त आवंटन निरस्त किया गया उसके खिलाफ पेश की गई है। जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 07.09.2006 द्वारा अपीलांट के पिता लेखराम पुत्र श्री जीवणराम को आरजी काश्त पर आवंटित रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 67 की 6.325 है ख.न. 281 की 1.362 है0 व ख.न. 308/3 की 0. 164 है0 कुल 7.851 है0 बारानी भूमि का अराजी काश्त आवंटन का अधिकार क्षेत्र के बिना कानून के विपरीत एवं अपीलांट के पिता की मृत्यु उपरांत व वारिसों को पक्षकार बनाये बिना व्यवहार प्रक्रिया के विपरीत आदेश पारित किया है अतः अपील स्वीकृति योग्य है। अपीलाधीन आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत व अपीलांट के पिता को बिना सुने व सुनवाई हेतु नोटिस की विधि विरूद्ध तरीके से की गई तामील को विधि अनुसार मानकर अपीलांट के पिता के पीठ पीछे बिना सुने पारित किया गया अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय है। अपीलांट के पिता का देहांत आदेश से काफी वर्ष पूर्व हो चुका था उसके बावजूद वारिसान को पक्षकार बनाये बिना मृत व्यक्ति के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध व कानून व व्यवहार प्रक्रिया के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। तहसीलदार सूरतगढ का आवंटन आदेश दिनांक 7.9.2006 आवंटननियमों के अंतर्गत काश्तकारी शर्तो के विपरीत पारित किया गया है। आरजी काश्त आवंटन नियम 1956 में कही भी तहसीलदार राजस्व को आवंटन निरस्ती का अधिकार नही है। नियम 1995 [illegible] प्रश्नगत भूमि काफी पुराना आवंटित होकर नवीनीकरण के आधार पर कब्जा काश्त [illegible] रही है उसे उसने सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। आवंटन नियम के नियम 2005 [illegible] रकम राज में जमा होने व धारण में होने पर पुख्ता आवंटन एवं भार [illegible] प्राप्त करने [illegible]कार थे जानबूझकर विधि प्रकिया व [illegible] जाकर कानून विपरीत [illegible] विपरीत निर्णय पारित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर आवंटन निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
868

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है। उसका माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पठनकिया गया और न ही मनन किया गया। प्रश्नगत वर्णित आदेश अनुपयोगी भूमि आवंटन नियम 1996 के किये गये है। उपनिवेशन अधिनियम पर यह निर्देश प्रभावकारी नहीं राजस्थान उपनिवेशन में आरजी काश्त शर्ते 1955 में आवंटित भूमि के शहरी पैराफेरी के आवंटन पर नियमों में रोक नहीं है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 01 की ओर से पैरोकार राज व रेस्पोडेंट 02 श्री शीशपाल शर्मा व रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से श्री भागीरथ विश्नोई अधिवक्ता हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर रकबे की खातेदारी लेने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही दिनांक 21.4.016 को नकल का आवेदन किया तब दिनांक 22.4.2016 को नकल प्राप्त होने पर अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही की गई है। देरी का कारण प्राकृतिक है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्ड्न करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 10 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत 41 नियम 20 सीपीसी पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ने कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा नगरपालिका पश्चात रकबा राज होने पर नगरपालिका सूरतगढ को आबादी विस्तार हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने आरक्षित कर हस्तांतरित कर दिया है तथा यह रकबा राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में अंकन होने के पश्चात नगरपालिका सूरतगढ द्वारा आबादी का विस्तार किया जा चुका है तथा रकबा में सडके इत्यादि बना दी गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट को पक्षकार बनाया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

8. रेस्पोडेंट संख्या 3 ने 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता लेखराम का स्वर्गवास दिनांक 13.07.1999 को हो चुका है प्रार्थी की माता का स्वर्गवास भी दिनांक 8.4.2005 को हो चुका है। चुकि प्रार्थी का हित निहित है अतः पक्षकार बनाया जावे।

9. वकील अपीलांट ने पक्षकार बनाए जाने के सम्बंध में निम्न न्याय उद्धरण पेशकिए है।

क्र.स.	न्याय उद्धरण	[illegible]
1	संक्षिप्त विवरण व्यवहार प्रकिया	व्यक्ति [illegible] बन सकता है जो अधिनस्थ न्यायालय [illegible] पक्षकाररहा हो।
2	आरआरडी 1989 पेज 527	[illegible] आवंटिती को पक्षकार [illegible] आवश्यकता नही आवंटिती सरकार के शू [illegible] अधिकार प्राप्त करता है। सरकार पूर्व में पक्षकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

3	आरआरडी 1995 पेज 677	सरकार के खिलाफ वाद आवंटिती को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही आवंटिती सरकार के शू में अधिकार प्राप्त करता है। सरकार पूर्व में पक्षकार है।
4	आरआरडी 1995 पेज 577	इसमे वादी का अधिकार है वो किसी को पक्षकार बनाये उसके इच्छा के विरूद्ध किसी को पक्षकार नही बनाये।
5	आरएलडब्ल्यू 2014 (2) आरजे	धारा 151 सीपीसी का सहारा लेकर वादी की इच्छा के विरूद्ध किसी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।
6	आरआरटी 2014–15 सप्पलीमेंटरी	खरीददार को पक्षकार बनाना आवश्यक नही हैखरीददार विक्रयकर्ता के अधिकार ही प्राप्त करेगा जो पूर्व में पक्षकार है।
7	आरआरटी पेज 2011पेज 804	इसमे वादी का अधिकार है वो किसी को पक्षकार बनाये उसके इच्छा के विरूद्ध किसी को पक्षकार नही बनाये।
8	आर वीजे 2013 पेज 236	अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार ना होने पर अपील न्यायालय मे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।
9	आरएलडब्ल्यू 2014 आरजे 297 पेज 298	अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार ना होने पर अपील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया जैरअपील रकबा अपीलांट के पति/पिता के नाम से आवंटन हुआ था अपीलांट जैरअपील प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है तथा रकबा पर अपीलांट का हितनिहित है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

11. गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 07.09.2006 द्वारा अपीलांट के पिता लेखराम पुत्र श्री जीवणराम को आरजी काश्त पर आवंटित रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 67 की 6.325 है ख.न. 281 की 1.362 है0 व ख.न. 308/3 की 0.164 है0 कुल 7.851 है0 बारानी भूमि का अराजी काश्त आवंटन का अधिकार क्षेत्र के बिना कानून के विपरीत एवं अपीलांट के पिता की मृत्यु उपरांत व वारिसों को पक्षकार बनाये बिना व्यवहार प्रकिया के विपरीत आदेश पारित किया है अतः अपील स्वीकृति योग्य है। अपीलाधीन आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत व अपीलांट के पिता को बिना सुने व सुनवाई हेतु नोटिस की विधि विरूद्ध तरीके से की गई तामील को विधि अनुसार मानकर अपीलांट के पिता के पीठ पीछे बिना सुने पारित किया गया अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय है। अपीलांट के पिता का देहांत आदेश से काफी वर्ष पूर्व हो चुका था उसके बावजूद वारिसान को पक्षकार बनाये बिना मृत व्यक्ति के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध व कानून व व्यवहार प्रकिया के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। टीसी पट्टा खारिज करने का तहसीलदार को अधिकार क्षेत्र नहीं होकर कालोनीलीज डीड कण्डीशन टीसी लीज 1955 शर्त संख्या 19 के तहत जिला कलक्टर को शक्ति प्राप्त थी इसलिए जैर अपील आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया है। तहसीलदार सूरतगढ का आवंटन आदेश दिनांक 7.9.2006 आवंटननियमों के अंतर्गत का[illegible] के [illegible] गया है। आरजी काश्त आवंटन नियम 1956 में कही भी तहसीलदार रा[illegible] [illegible]टननिरस्ती का अधिकार नही है। नियम 1996 में बने जब की अ[illegible] [illegible]आवंटित होकर नवीनीकरण के आधार पर कब्जा काश्त में [illegible] रही है उसे [illegible] सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। आवंटन नियमों के नियम 2005 तक रकम [illegible] व धारण में होने पर पुख्ता आवंटन एवं भार मुक्त होने उपनिवेशन खातेदारी प्राप्त करने [illegible] अधिकार थे जानबुझाकर विधि प्रकिया व अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कानून विपरीत तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

था।आदेश तहसीलदार राजस्व सूरतगढ दिनांक 7.9.2006 आवंटन नियमों के अंतर्गत काश्तकारी शर्तो के विपरीत पारित किया गया है।आरजी काश्त आवंटननियम 1956 में कही भी तहसीलदार को आवंटननिरस्ती का अधिकार नही हे। यह अधिकार मात्र जिला कलक्टर को है अधिकारक्षेत्र से परे आदेश प्रारम्भिक रूप से ab initio wrong की परिभाषा में आता है। इसलिए निरस्ती योग्य है। अपीलांट आवंटित भूमि पर आज भी काबिज है एवं उसे अपीलाधीन आदेशों में अंकित वेस्ट लैण्ड आवंटननियमों में आवंटन हुआ ही नही ये नियम 1996 में बने जब की अपीलांट को प्रश्नगत भूमि काफी पुरानी आवंटित होकर नवीनीकरण के आधार पर कब्जा काश्त में चली आ रही है उसे सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। आवंटन नियमों में 2005 तक रकम राज में जमा होने व धारण में होने पर पुख्ता आवंटन एवं भार मुक्त होने उपनिवेशन खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार थे जानबूझकर विधि प्रकिया व अधिकार क्षेत्र से बाहर कानून विपरीत तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है काबिल निरस्ती के योग्य हैं इसके अतिरिक्त अपीलांट का निवेदन है कि अपीलांट के पिता को भूमि का आवंटन उपनिवेशन क्षेत्र में आरजी काश्त भूमि आवंटन अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवंटन होकरकब्जा काश्त में चली आ रही है इस प्रकार आवंटित हुई भूमि को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र मात्र जिला कलक्टर को है। आदेश अपीलाधीन अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किये गये है जो अधिकारातीत होने से अप्रभावकारी है और काबिल निरस्ती के है।राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर आवंटन निरस्त किया गया है उसका माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पठन किया गया और ना ही मनन किया गया। प्रश्नगत वर्णित आदेश अनुपयोगी भूमि आवंटन नियम 1996 के किये गये है। उपनिवेशन अधिनियम पर यह निर्देश प्रभावकारी नहीं राजस्थान उपनिवेशन में आरजी काश्त शर्ते 1955 में आवंटित भूमि के शहरी पैरफेरी के आवंटन नियमों में रोक नहीं है, द्वितीय भूमि उपनिवेशन मुक्त होने पर राजस्थान भू आवंटन अधिनियम भूमि आवंटन नियम 1970 में आने के पश्चात अपीलांट नियमानुसार खातेदारी के पात्र बनते है।

12. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 राजपैरोकार ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने मातहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 9.5.2016 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। इससे यह साबित है कि अपीलांट जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतयां ज्ञान था। मातहत न्यायालय के आदेश से पूर्व अपीलांट को सुना गया था ततपंश्चात आदेश हुआ था। अपीलांट ने अपनी अपील में यह कतई दर्ज नहीं किया कि उसने जैर अपील आदेश की जानकरी नां हो, इसलिए अपीलांट को जैर अपील आदेश की पूर्णतया जानकारी थी। इसलिए अपील पेश करने में जानबूझकर देरी की गई है। टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही आवंटन होता हैं, एक साल पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 Page No- 431 अनुसार–A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 07.09.2006 विरुद्ध 10 वर्ष बाद दिनांक 09.05.2016 को श्रीमान जी के न्यायालय में पेश [illegible] पूर्णतय मियाद बाहर है अपीलांट ने टीसी आवंटन की शर्त, टीसी का नवीनीकरण [illegible] एक साल बाद टीसी नवीनीकरण के लिए तहसीलदार के [illegible] उपस्थित हो [illegible] प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। अपील में अपीलांट ने विलम्ब [illegible] हेतु कोई कारण नहीं बताया है। संतोषजनक कारण के अभाव में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती [illegible] कानूनी नजीर RRT 2015(2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है। टीसी आंवटी को कभी भी रकबा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

है। इस कारण अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील खारिज योग्य है।टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटित रकबे में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है कानूनी नजीर आरआर जे 1999 के पेज संख्या 214 के अनुसार इस प्रकार का अपीलांट को इस प्रकार के रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने इस अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश करके अनतोष चाहा है जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे एक तरफा आदेश के निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थ अपीलांट को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा पर काश्त नहीं की है अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह सावित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है।जैर प्रकरण रकबा जमावंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में रकबा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(5) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलॉट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

13. अधिवक्ता अपीलांट ने रेस्पोडेंट के लिखित कथन के प्रतिउत्तर में /लिखित तर्क पेश कर अपील के बिन्दुओ को दोहराते हुएं कथन किया कि अपीलाधीन आदेश स्पष्टतया अधिकार विहीन पारित किया गया है अधिकार विहीन आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। इस विषय में अपीलांट द्वारा पूर्व में ही हजारीलाल बनाम सरकार आरआरडी 1976 पेज 504 का हवाला दिया है। जिसमें अधिकार विहीन आदेश पर मियाद लागू नहीं होती है। इसके अतिरिक्त मृत व्यक्ति के खिलाफ भी निर्णय पारित किया गया है इस विषय में भी मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित आदेश आदेश की परिभाषा में नही आते है और इनको मियाद बिन्दु को दर किनार कर गुणावगुण पर अपील में विचारण किया जाना राजस्व मण्डल का मत है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय सरजीत सिंह बनाम सरकार प्रकाशित आरआरटी 019 पार्ट–1 पेज 372 का न्याय निर्णय में यह स्पष्ट है कि जिला कलक्टर द्वारा समय समय परपरिपत्र जारी कर नवीनीकरण के आदेश के पूर्व के काश्तकारों को यथास्थिति अनुसार नवीनीकरण किये जाने का आदेश जिला कलक्टर द्वारा दिया गया था यह तथ्य कतई गलत है कि सम्वत 2042 के बाद आरजी काश्तकार सूरतगढ तहसील का नवीनीकरण नहीं हुआ स्वंय आदेश तहसीलदार में भी यह माना गया है कि आरजी काश्त भूमि का नवीनीकरण सम्वत 2061 तक हुआ है। इसके बाद सूरतगढ रोही का रकबा राजस्व अधिनियम में अधिशासित होने से सभी आरजी काश्तकार खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी हो गये। इस हेतु राजस्व अधिनियम में संशोधन हो चुका है जहां तक नवीनीकरण का प्रशन है कलक्टर द्वारा 1998, 1991 के परिपत्रों का वर्णन न्याय निर्णयों मे हुआ है ऐसे परिपत्र पैरोकार सरकार के पास उपलब्ध हैं। [illegible] मात्र आरजी काश्तकार के हितो को नुकसान पहुंचाने के लिए अदालत को गुमराह [illegible] जा [illegible] है 33 वर्ष बाद भूमि खारिज किया जाना Travesty of justice है यह रूलिंग इस [illegible] लागू होती है। आरआरटी 2022 पार्ट 1 पेज 84 में भी यही माना गया है कि आरजी काश्त भूमि को खारिज करने का अधिकार मात्र कलक्टर को है अतः आदेश तहसीलदार निरस्ती य[illegible] है। अपीलाधीन आदेश अधिकार विहीन होने से मियाद का प्रश्न गौण है, गुणावगुण पर आदेश अपीलाधीन में स्वयं सरकार ने माना है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

कि सम्वत 2061 तक नवीनीकरण हुआ है। इसलिए यह प्रश्न विवादित नहीं किया जा सकता है अपील आधार मात्र यह है कि अपीलांट आरजी काश्तकार है, सम्वत 2061 तक नवीनीकरण हुआ है व खातेदारी पाने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोंडेंट संख्या 02 ने कथन किया कि तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपील दिनांक 7.6.2006 के विरुद्ध दिनांक 9.5.2016 को दस साल पश्चात अपील पेश की है। जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांटगण इस रकबा के टीसी आवंटी नहीं रहे हे। अपीलांटगण ने इस रकबे का नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय की टीसी आवंटन पत्रावली मे मृतक लेखराम पुत्र जीवणराम ने कभी भी स्वयं ने उपस्थित होकर के नवीनीकरण हेतु मृतक लेखराम पुत्र जीवनराम के नाम से शुरू में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है उसके प्श्चात कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ व ना ही किसी वर्ष नवीनीकरण हुआ है। जबकि वर्ष 1986 तक इस रकबा के बावत् उपनिवेशन तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर पत्रावली में पटवारी की रिपोर्ट मांगी जाकर टीसी आवंटन पत्रावली में ही टीसी आवंटन का प्रार्थनापत्र मर्ज कर दिया जाता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली श्रीमान जी के अदालत मे मौजूद है। उसमें अपीलांट मृतक के कितने वारिस है व आवंटी कब फोत हुआ इत्यादि का कोई विवरण अपील में नेश नहीं किया गया है। तथा आवंटी लेखराम पुत्र जीवणराम को प्रथम आवंटन भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं है। क्योकि टीसी आवंटन नियम 1955 के नियम 6 के अनुसार टीसी आवंटन कमेटी की राय से तहसीलदार कर सकता था। परंतु लेखराम पुत्र जीवणराम को टीसी आवंटन भी विधि सम्मत नही हुआ है। तथाकथित टीसी आवंटी फौत हो चुका है तथा टीसी आवंटी के वारिसो के नाम से टीसी नवीनीकरण भी नही हुआ है। व न ही वारिसों के नाम से टीसी आवंटन हुआ हैं। तथा टीसी आवंटी तथा उसके वारिसों ने कभी भी टीसी नवीनीकरण हेतु रकम या मालकाना जमा नहीं करवाया है व टीसी आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की है। एक टीसी आवंटी को प्रत्येक वर्ष रकम जमा करवानी पडती हे। जो मात्र एक रूप्या प्रति बीघा प्रतिवर्ष होता है। अपील के अनुसार अपीलांट के पिता फौत हो चुका है। टीसी आवंटन उसी समय निरस्त हो जात है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 Page No- 431 अनुसार–A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता हैं। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटन रकबा में किसी तरह का कोई अधिकार प्रापत नही होता है। **RBJ 1999 PAGE NO 214 Temporary allotment of land for cultivation creatd no right in favour of the person to whom land was temporary allotted.** ठस प्रकार अपीलांट को रकबा में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगें इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने विलम्ब माफी हेतु भी कोई संतोषजनक कारण के अभाव में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। कानूनी नजीर RRT 2015(2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है। [illegible] सूरतगढ का रकबा दिनांक 7.9.2006 तक उपनिवेशन क्षेत्र में था [illegible] काश्तकारी के रकबा की खतेदारी अधिकार अस्थाई आवंटी [illegible] नही हो सकते। टीसी आवंटी को कभी भी रकबा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इस कारण अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने [illegible] अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश करके अनतोष चाहा है जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे एक तरफा आदेश के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थ अपीलांट को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अपीलांट का इस रकवा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकवा पर काश्त नहीं की है अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह सावित हो सके कि उसने इस रकवे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है। जैर प्रकरण रकवा जमावंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकवा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में रकवा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(ड) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक वहस के साथ लिखित वहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद वाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकवे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। अपीलांट काटीसी आवंटन भी शुरू से शून्य है टीसी आवंटन करने का अधिकार सलाहकार समिति का गठन होने पर सलाहकार समिति की सलाह से ही टीसी आवंटन हो सकता है। अपीलांट का प्रथम आवंटन ही अवैध है इसलिए भी अपील खारिज योग्य है।

15. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपील के विन्दुओ को ही अपनी वहस मानने की सहमति प्रदान की है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया अपीलांट ने अपीलमीमों में अंकित किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि आवंटी लेखराम पुत्र श्री जीवणराम जाति मेघवाल की मृत्यु 13.07.1999 को हो गई थी। उनकी मृत्यु के सम्बंध में कोई सूचना अपीलांट द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को प्रस्तुत नहीं की गई थी। अपीलांट का मूल कर्तव्य था कि वह आवंटी की मृत्यु की सूचना तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत करते। अतः अपीलांट का यह कथन कतई सिद्ध नहीं होता कि तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।

अपीलांट के पिता को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 267 की 6.325 है0 व ख.न. 281 की 1.362 है0 व ख.नं. 308/3 की 0.164 है0 को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई थी। मूल आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था। उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता करवाने हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, जबकि टीसी आवंटन के लिए निरंतर कब्जा काश्त होना अतिआवश्यक था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध नही हो रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के प्रकरण संख्या 30/2006 अनवान सरकार बनाम लेखराम में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2006 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

28/3/24

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner